1017
16/2/13

खण्ड-2

बिहार विधान मंडल पुस्तकालय
शोध/संदर्भ ग्रंथ

संख्या-17

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(भाग-1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

दिनांक : 21 जून, 1995 ई०

2. उत्तर स्वीकारात्मक है। पुल का शिलान्यास वर्ष 1992 में किया गया है।

3. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि स्क्रू पाईल एवं अन्य अवयवों की आपूर्त्ति जी जा रही है।

4. पुल का निर्माण कार्य अभी प्रारम्भ ही नहीं हुआ है। अतः कार्य बाधित होने का प्रश्न नहीं उठता है। आवागमन पूर्ववत स्थिति में है।

5. प्राथमिकता के आधार पर निधि उपलब्ध कराकर वर्षांत के बाद कार्य प्रारम्भ करने का कार्यक्रम है।

सेवा की वापसी

1321. श्री प्रयाग चौधरी : क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि–

1. क्या यह बात सही है कि श्री मणिकान्त सिन्हा, सहायक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, साहेबगंज के अधीन लघु सिंचाई अनुमंडल पाकुड़ एवं सिंचाई अनुमंडल साहेबगंज में अगस्त, 1987 से अभी तक पदस्थापित है;

2. क्या यह बात सही है कि एक प्रमंडल में 3 वर्षों तक बने रहने का प्रावधान है, जबकि श्री सिन्हा नियम के विरूद्ध 7 वर्षों से पदस्थापित हैं।

3. क्या यह बात सही है, कि लघु सिंचाई विभाग की अधिसूचना सं० 6327 दि०–15.12.94 द्वारा प्रतिनियुक्ति अवधि 6 वर्ष पूरी करने के फलस्वरूप

श्री सिन्हा की सेवा सिंचाई विभाग में लौटा दी गई थी, और प्रतिस्थानी को दि०–31.12.94 के अपराह्न में प्रभार भी दे दिया गया था। परन्तु विभागीय अधिसूचना सं०–1429 दि०–10.5.95 को पुनः उसी प्रमंडल के अधीन लघु सिंचाई अनुमंडल, बड़हड़वा में श्री सिन्हा को पदस्थापित कर दिया गया है।

4. यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार श्री सिन्हा की सेवा सिंचाई विभाग में वापस करने का विचार रखती है, हाँ तो कब, नहीं तो क्यों।

श्री मंगनी लाल मंडल : 1. उत्तर अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि श्री सिन्हा, अवर प्रमंड़ल, पाकुड़ में दिनांक–12.6.90 से 12.6.93 तक तथा साहेबगंज अवर प्रमंडल में 13.6.93 से 15.5.95 तक पदस्थापित थे, वर्त्तमान में ये अवर प्रमंडल, बड़हड़वा में पदस्थपित हैं।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है। श्री सिन्हा, अवर प्रमंडल, बड़हड़वा में दिनांक–17.6.95 से ही पदस्थापित है।

3. वस्तुस्थिति यह है कि श्री सिन्हा की सेवाएँ उनके पैतृक विभाग जल संसाधन विभाग में विभागीय अधिसूचना सं०–6327 दिनांक–15.12.94 द्वारा वापस कर दी गई थी, किन्तु चुनाव आयोग द्वारा दि०–8.12.94 से ही चुनाव आचार संहिता लागू कर दिये ज़ाने के कारण स्थानान्तरण आदेश का कार्यान्वयन संभव नहीं हो सका। पुनः विभागीय कार्यहित में तत्काल श्री सिन्हा को बड़हड़वा में पदस्थापित किया गया था।

4. विभागीय स्थापना समिति के माध्यम से इनकी सेवा जल संसाधन (सिंचाई) को वापस करने की कार्रवाई 3.6.95 तक कर दी जायेगी।